न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 112/2003 अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उनवान :– 1. भरता राम पुत्र भूरा जाति स्वामी निवासी बिसालदा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

:–––अपीलांट

बनाम

1. रतादास पुत्र झूंथाराम जाति स्वामी निवासी कानूगोवाली तहसील बानसूर जिला अलवर । (फौत)

1/1. मु0 महादी बेवा रतादास
1/2. गणपत पुत्र रतादास
1/3. मकतूल पुत्र रतादास
1/4. सरदारा पुत्र रतादास
1/5. मनोहर पुत्र रतादास

:–– रेस्पो0

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर ।

:–– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 30.10.2003

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री मथुराप्रसाद जांगिड
2. वकील रेस्पो0 :– श्री अनिलकुमार गुप्ता

निर्णय

दिनांक 12.8.2015

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा अपील संख्या 11/95/2002 उनवान रतादास बनाम भरताराम में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2003 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा अपीलांट (इस न्यायालय का रेस्पो0) की अपील स्वीकार करते हुये पुनः जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बानसूर को प्रतिप्रेषित किया गया था ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बानसूर ने अपने आदेश दिनांक 10.8.1996 के द्वारा आराजी गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 13 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम बिसालदा तहसील बानसूर की सनद अपीलांट भरताराम के पक्ष में जारी करने के आदेश दिये गये थे । इस आदेश से व्यथित होकर रेस्पो0 रतादास ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के यहां प्रथम अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 30.10.2003 के द्वारा स्वीकार की जाकर पुनः जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बानसूर के प्रतिप्रेषित किया गया था । अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के इस आदेश दिनांक 30.10.2003 से व्यथित होकर अपीलांट भरताराम (अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के न्यायालय का रेस्पो0) ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी चाह खसरा नम्बर 13 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम बिसालदा तहसील बानसूर पहले सिवायचक था,जिससे मेरी खातेदारी की आराजी सिंचित होती थी । इस पर मेरा पुराना कब्जा था । इसलिये अपने पक्ष में विनियमित कराने हेतु तहसीलदार बानसूर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था । उस प्रार्थना पत्र पर विस्तृत जांच एवं उज्रदारी करके विवादित भूमि विनियमित करने की आज्ञा पारित की थी । [redacted] चूंकि हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है और इस राजीनामा में रेस्पो0 ने विवादित भूमि पर मेरा ही हक माना है । अतः निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस निवेदन किया है कि हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है । मुताबिक राजीनामा अगर अपीलांट की अपील स्वीकार करं ली जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही पेश किये गये राजीनामा का भी अवलोकन किया । पक्षकारान ने राजीनामा में स्वीकार किया है कि चाह खसरा नम्बर 13 रकबा 2 बिस्वा हाल नम्बर 13 रकबा 3 एयर वाके ग्राम बिसालदा तहसील बानसूर का उपयोग व उपभोग भरताराम कदीम से करता आ रहा है । जिस चाह से रेस्पो0 का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है और ना ही भविष्य में रहेगा । इस चाह नम्बर की सनद व इसका इंतकाल नम्बर 410 अपीलांट भरताराम के पक्ष में सही तौर पर जारी एवं स्वीकार हुआ है । इसलिये राजस्व रेकार्ड में इस आराजी की बाबत अपीलांट भरताराम के पक्ष में अंकन यथावत रख दिया जावे । इस राजीनामा पर अपीलांट भरताराम एवं रेस्पो0 मृतक रतादास के वारिसान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है तथा इनकी पहचान इनके वकीलों द्वारा की गई है । साथ ही यह राजीनामा न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया हुआ है ।

6. इसके पश्चात राजीनामा के सम्बन्ध में आदेश 23 नियम 3 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों का गहराई से अध्ययन किया । इसमें प्रावधान किये गये हैं कि :–

1. राजीनामा लिखित में होना चाहिये ।
2. सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये ।
3. न्यायालय द्वारा तस्दीक होना चाहिये ।
4. किसी कानून से वर्जित नहीं होना चाहिये ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत राजीनामा लिखित में एवं सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है तथा न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया हुआ है । विद्वान अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर की पत्रावली में उपलब्ध इंतकाल संख्या 410 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इंतकाल अपीलांट भरताराम के पक्ष में तहसीलदार बानसूर के आवंटन आदेश कमांक/96/482 दिनांक 10.6.96 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है । प्रस्तुत राजीनामा में स्वयं रेस्पो0 ने भी यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि अपीलांट भरताराम को सही तौर पर आवंटित की गई है और इंतकाल भी उसके पक्ष में सही प्रकार से स्वीकृत किया गया है । इस प्रकार पक्षकारों में हुये राजीनामा के तथ्य पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से मेल खाते है । इसलिये प्रस्तुत राजीनामा किसी कानून से वर्जित होना भी प्रकट नहीं है । इसके अलावा चूंकि यह राजीनामा पक्षकारों की आपसी सहमति से लिखित में उनके हस्ताक्षरों से निष्पादित हुआ है, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया गया है और राज्य सरकार को इससे किसी प्रकार की कोई राजस्व हानि आदि होना भी प्रकट नहीं है तथा दस्तावेजी साक्ष्य से राजीनामा के इस तथ्य की ताईद होती है कि विवादित भूमि अपीलांट भरताराम को समस्त प्रकियायें अपनाने के पश्चात ही तहसीलदार बानसूर द्वारा आवंटित/नियमित की गई है ।

7. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत राजीनामा आदेश 23 नियम 3 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2003 निरस्त किया जाकर तहसीलदार बानसूर की आज्ञा दिनांक 10.8.1996 यथावत रखी जाती है ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफतर हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
कार्यवाहक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner